

(यह शपथ पत्र रुपये 100/- (सौ रुपये) के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर मुद्रित किया जाना चाहिए और पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए)

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के छात्रावास के नियम-शर्तों के अनुपालन के संबंध में माता-पिता/अभिभावक और विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र

इस शपथ पत्र पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्वविद्यालय का/की विद्यार्थी (पाठ्यक्रम) में 2026-2027 सत्र से प्रवेश का आकांक्षी है तथा विश्वविद्यालय के छात्रावास डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बालक छात्रावास/ मॉ. नर्मदा कन्या छात्रावास में प्रवेश ले रहा/रही है। इन छात्रावास के निर्धारित एवं विद्यार्थी को बताए गए संबंधित नियम-शर्तों को पढ़ और पूरी तरह से समझ लिया है, हम इस घोषणा पत्र के माध्यम से इन नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत और वचनबद्ध रहते हुए उनका अपरिवर्तनीय रूप से अनुपालन पालन करते हैं।

माता-पिता के लिए

1. मेरे पुत्र/पुत्री की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, एक अभिभावक के रूप में, मुझे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में मेरे पुत्र/पुत्री के अनुशासन और आचरण के नियमों के बारे में पहले ही समझाया जा चुका है, और मैंने इसे पूरी तरह से समझा है। मुझे आचार संहिता, परिसर में उपस्थिति, समय की पाबंदी, व्यवहार से संबंधित नियम, विशेष रूप से छात्रावास परिसर में भी समझाया गया है और मैं इस से सहमत हूँ।
2. माता-पिता के रूप में, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री अकादमिक/गैर-शैक्षणिक सत्रों में भाग लेने के बाद विश्वविद्यालय के छात्रावास में वापस आ जाएगा, जिसमें शैक्षणिक ब्लाकों में पुस्तकालय कार्य, प्रयोगशाला प्रायोगिक आदि शामिल हैं और छात्रावास के कमरों में रहेंगे। उसे प्रतिदिन रात 8.30 बजे (जुलाई- फरवरी) एवं रात 9.00 बजे (मार्च-जून) से पहले छात्रावास में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
3. माता-पिता के रूप में मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि यदि मेरे पुत्र/पुत्री को छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है, तो वह छात्रावास के वार्डन या कर्मचारी के बीच अनुशासन की निगरानी के लिए अपने दैनिक दिनचर्या के चक्कर लगाने पर उन्हें आवंटित संबंधित कमरे में रहेंगे। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।
4. मैं आगे सहमत हूँ कि मेरा पुत्र-पुत्री आवंटित कमरे में ही रहेगा/रहेगी और यह पूर्व अनुमति के बिना कमरे को नहीं बदलेगा/बदलेगी या अन्य निवासियों को आवंटित किसी अन्य कमरे पर कब्जा नहीं करेगा/करेगी इस नियम के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और छात्रावास से निष्कासन भी हो सकता है।
5. माता-पिता के रूप में, मैं समझता हूँ कि यदि मेरा पुत्र-पुत्री किसी भी प्रकार के मोटर वाहन का उपयोग करता है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी के लिए पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी।
6. एक अभिभावक के रूप में, मैं छात्रावास में अपने बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन, आचरण, व्यवहार या अन्य गतिविधियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अपने बच्चे के कल्याण के बारे में पूछताछ करने की माता-पिता की जिम्मेदारी को समझता हूँ और सहमत हूँ।
7. एक अभिभावक के रूप में मैं छात्रावास/विश्वविद्यालय के किसी भी नियम, विनियम और प्रथाओं के प्रवर्तन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं एतद्वारा सहमत हूँ कि यहां उल्लिखित नियमों और विनियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में मेरे पुत्र-पुत्री को छात्रावास/विश्वविद्यालय से सरसरी तौर पर निष्कासित किया जा सकता है। एक अभिभावक और छात्र के रूप में मेरे द्वारा किया गया यह वचन अंतिम और अपरिवर्तनीय है।
8. माता-पिता के रूप में, मैं अपने पुत्र-पुत्री के व्यवहार की बारीकी से निगरानी करूंगा और यदि कोई बदलाव देखा जाता है तो छात्रावास के अधिकारियों को सूचित कर दूंगा।
9. माता-पिता के रूप में, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर/पता) को परिवर्तन किए जाते ही तुरंत अपडेट कर दूंगा।

विद्यार्थियों के लिए

1. एक विद्यार्थी के रूप में, मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि विश्वविद्यालय से जुड़ा छात्रावास छात्रों को छात्रावास में उनके शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आरामदायक, सुरक्षित और अनुकूल बनाने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, छात्रावास के निवासी के रूप में, मैं ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होऊंगा/होऊंगी जो छात्रावास के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब कर सकती हैं। मैं इस सख्त नियम से अवगत हूँ कि मेरे कार्यों, शब्दों से तेज संगीत बजाना, नृत्य करना या आपत्तिजनक परिदृश्य बनाना या सह-छात्रों को परेशान करने के लिए अभद्रता के स्तर तक जोर से शोर करना सख्त वर्जित है।
2. एक विद्यार्थी के रूप में, मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि छात्रावास में प्रवेश मेरा अधिकार नहीं है, बल्कि मेरे लिए दी गयी सुविधा है, ताकि परिसर में मेरे शांतिपूर्ण अध्ययन को सुगम बनाया जा सके, बशर्ते कि मैं छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करूँ।
3. एक विद्यार्थी के रूप में, मैं सहमत हूँ और केवल मुझे आवंटित कमरे में निवास करने का वचन देता/देती हूँ।

4. एक विद्यार्थी के रूप में मुझे इस नियम की जानकारी है कि जब वार्डन या अन्य कर्मचारी अनुशासन लागू करने और संचालन की निगरानी के लिए छात्रावास में जाते हैं या चक्कर लगाते हैं तो मुझे रात्रि 11.00 बजे के बाद संबंधित छात्रावास के आवंटित कमरे में उपलब्ध होना चाहिए।
5. एक विद्यार्थी के रूप में मैं इस नियम को पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि छात्रावास परिसर में शराब/ किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन सख्त वर्जित है और मेरी ओर से इस नियम का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर छात्रावास/ विश्वविद्यालय से निष्कासन होगा।
6. छात्रावास में प्रवेश पाने के इच्छुक एक विद्यार्थी के रूप में, मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं हमेशा संस्थान की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखूंगा/रखूंगी और मैं प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा/करूंगी जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा/छवि धूमिल हो।
7. एक विद्यार्थी के रूप में, मैं अपने आप को शैक्षणिक सत्रों से अनुपस्थित नहीं रखूंगा/रखूंगी और ऐसे सत्रों के दौरान छात्रावास के कमरे में वापस नहीं रहूंगा, रहूंगी सिवाय इसके कि हमारे चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत सिफारिश की गई बीमारी के मामले में।
8. एक विद्यार्थी के रूप में, मैं छात्रावास के मेस के समय, टेबल मैन्स का पालन करूंगा/करूंगी और मेस हॉल में शालीनता का पालन करूंगा/करूंगी। छात्रावास के निवासी के रूप में, मैं परिसर से बाहर जाते समय, डाइनिंग हॉल का उपयोग करते समय छात्रावास के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्धारित स्वच्छ और सभ्य पोशाक पहनूंगा/पहनूंगी। मैं किसी भी बहाने से किसी भी खाद्य पदार्थ को कमरों में नहीं ले जाऊंगा/जाऊंगी।
9. मैं छात्रावास में मुझे आवंटित कमरे का उपयोग खाना पकाने/हीटिंग के लिए नहीं करूंगा/करूंगी और मैं पूरी तरह से जानता/जानती हूँ कि स्टोव, गर्म प्लेट और अन्य बिजली के उपकरणों का उपयोग सख्त वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
10. एक विद्यार्थी के रूप में मैं पूरी तरह से जानता/जानती हूँ कि छात्रावास परिसर या विश्वविद्यालय परिसर में धूम्रपान, गुटखा चबाना या नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों का उपयोग करना सख्त वर्जित है। यदि मैं शराब/नशीले पदार्थों के प्रभाव में पाया जाता/जाती हूँ या शराब की बोतलें, सिगरेट, सिगार तंबाकू, मादक पदार्थ या अन्य समान वस्तुओं के कब्जे में पाया जाता/जाती हूँ तो मुझे बिना किसी पूछताछ के छात्रावास से बाहर निष्काशित किया जा सकता है। मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि यदि किसी कमरे में शराब, नशीला पदार्थ या इसी तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, तो उस कमरे के सभी निवासी संयुक्त रूप से उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होंगे और उन्हें छात्रावास के साथ-साथ संस्थान से भी सरसरी तौर पर निष्काशित कर दिया जाएगा। यदि उपर्युक्त में से कोई भी वस्तु पाई जाती है, जब्ती की जाती है, तो मैं अज्ञानता/निर्दोषता की दलील नहीं दूंगा/दूंगी और मैं सहमत हूँ कि मैं उस कमरे के सभी विद्यार्थियों को दी जाने वाली सजा से बाध्य होऊंगा/होऊंगी। मैं उस कमरे के सभी विद्यार्थियों को संयुक्त रूप से दी गई सजा को चुनौती नहीं दूंगा/दूंगी।
11. एक विद्यार्थी के रूप में, मैं अपने निजी सामान को सुरक्षित रूप से अपनी अभिरक्षा में रखूंगा/रखूंगी और मैं अपने किसी भी निजी सामान जिसमें नकदी, मोबाइल, घड़ियां, लैपटॉप आदि शामिल हैं, के नुकसान, चोरी/क्षति के लिए छात्रावास के अधिकारियों/कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी।
12. एक विद्यार्थी के रूप में, मैं छात्रावास परिसर के अंदर और बाहर, छात्रावास के कार्यवाहकों के साथ व्यवहार सहित, अत्यधिक अनुशासित और आज्ञाकारी तरीके से अपना आचरण करूंगा/करूंगी, जिसमें विफल रहने पर छात्रावास के नियमों के अनुसार मेरे खिलाफ छात्रावास/विश्वविद्यालय से निष्कासन जैसी उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
13. एक विद्यार्थी के रूप में, मैं किसी भी प्रकार के रैगिंग/चिढ़ाने/शारीरिक/मौखिक रूप से अन्य सह-छात्रों को चोट पहुंचाने में शामिल नहीं होऊंगा/होऊंगी। मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि इस तरह की रैगिंग/चिढ़ाने/शारीरिक हिंसा/महिला छात्रों को शब्दों या कार्रवाई से परेशान करने को छात्रावास और विश्वविद्यालय से निष्कासन सहित गंभीरता से लिया जाएगा।
14. एक विद्यार्थी के रूप में, मैं छात्रावास की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा/पहुंचाऊंगी या खराब नहीं करूंगा/करूंगी। मैं छात्रावास अधिकारियों द्वारा निर्धारित संपत्ति के नुकसान/क्षति की भरपाई के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। यदि किसी भी कमरे में कोई फिटिंग/फिक्स्चर क्षतिग्रस्त पाया जाता है, तो क्षति की कीमत कमरे के सभी निवासियों से जुमाने सहित वसूल की जाएगी।
15. मुझे इस नियम की जानकारी है कि किसी भी छात्र को अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे कि फटकार, निलंबन, जुर्माना या बर्खास्तगी का सामना करना पड़ रहा है, छात्र ज्ञापन प्राप्त होने की तारीख से पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर अपने पिता या माता को लायेंगे। यदि मैं अपनी पहल पर अपने पिता या माता को लाने में विफल रहता/रहती हूँ, या यदि माता-पिता अधिसूचित तिथि और समय पर वार्डन/कुलसचिव/चीफ वार्डन/कुलगरू से मिलने नहीं आते हैं, तो समिति का निर्णय अंतिम और छात्र पर बाध्यकारी होगा।
16. एक विद्यार्थी के रूप में, मैं अपने साथी निवासियों के व्यवहार की बारीकी से निगरानी करूंगा/करूंगी और यदि कोई बदलाव देखा जाता है तो मैं अधिकारियों को सतर्क करूंगा/करूंगी।
17. मैं शैक्षणिक वर्ष की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के पूरा होने पर केवल 15 जून तक या अंतिम परीक्षा के दिन जो भी पहले है छात्रावास खाली कर दूंगा/दूंगी। यदि आवश्यक हुआ तो मैं छात्रावास में अपने प्रवास को जारी रखने के लिए आगामी शैक्षणिक वर्ष में पुनः प्रवेश ले लूंगा/लूंगी।
18. एक विद्यार्थी के रूप में, मैं अपने छात्रावास के कमरे और परिसर को साफ रखूंगा/रखूंगी। साथ ही, मैं अपने साथी निवासियों की निजता का सम्मान करूंगा।
19. एक विद्यार्थी के रूप में, भोजन, पानी और बिजली जैसे राष्ट्रीय संसाधनों को बचाने की मेरी प्रमुख जिम्मेदारी है।

संयुक्त घोषणा

केवल पिता या माता/अभिभावक के हस्ताक्षर के लिए

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि, हम, अभिभावक और बच्चे ने छात्रावास के नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ा है जो विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित हैं और जैसा कि वेबसाइट www.mcu.ac.in पर दिया गया है। हम पूरी तरह से समझते और सहमत हैं कि यदि मेरा बेटा/बेटी छात्रावास अनुशासन के नियमों का पालन करने में विफल रहता/रहती है, तो वह छात्रावास से निष्कासन सहित उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। हम एतद्वारा व्यक्तिगत वचन देते हैं कि हम अनुशासन के मामले में छात्रावास के अधिकारियों के निर्णय में हस्तक्षेप या चुनौती नहीं देंगे।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर :

पिता अथवा अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर:.....

विद्यार्थी का नाम :

पिता का मोबाईल नम्बर ::.....

पाठ्यक्रम :

माता का नाम एवं हस्ताक्षर ::.....

फार्म संख्या :

माता का मोबाईल नम्बर ::.....

दिनांक :

नोटरी पब्लिक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

मुहर के साथ नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर